न्यायालयः– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मकराना
जिला डीडवाना–कुचामन

बउनवान–अब्दुल कयूम बनाम मोहम्मद सलीम व अन्य
किस्म– दीवानी मूल प्रकरण नंबर–120/12 क.न.–111/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
11-09-25	वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादी मोहम्मद हसन द्वारा आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके संबंध में बहस गत पेशी पर सुनी गई जिस संबंध में उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है। अधिवक्ता प्रतिवादी मोहम्मद हसन ने आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी जिसका असली नाम अब्दुल करीम है, ने मृत व्यक्ति अब्दुल कयूम के नाम से वाद पेश किया है। वादी व प्रतिवादीगण के दादा जलालुदीन द्वारा वर्ष 1974 में खसरा नंबर 388 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि क्रय की जिसकी रजिस्ट्री अपने व अपने पुत्र निजामुदीन व पौत्र अब्दुल कयूम के नाम कराई जिसमें प्रार्थी के भाई अब्दुल कयूम की नाबालिग अवस्था में हो जाने से अब्दुल करीम ने अपने आप को अब्दुल कयूम बताकर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर मूल्यवान सम्पति को हड़पने के आशय से वाद पेश किया है। प्रतिवादी ने अब्दुल करीम, अकलीमा बेगम, शाहिद अली, सजाद अली व आबिद अली के विरूद्ध फर्जी दस्तावेज तैयार करने के संबंध में दिनांक 24.05.2018 को एफआईआर नंबर 197/18 अंतर्गत धारा 420,467,468,471,120बी भा.द.स. में दर्ज करवाया जिसमें दौराने अनुसंधान अब्दुल करीम फर्जी नाम अब्दुल कयूम को गिरफतार किया	

अपर जिला न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	गया जिसकी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से जमानत स्वीकार हुई व शेष अभियुक्तगण माननीय उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत पर है। उक्त एफआईआर नंबर 197/18 में पुलिस थाना मकराना द्वारा आज दिनांक तक अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत नही करने पर प्रतिवादी हसन ने एसीजेम न्यायालय मकराना में दिनांक 17.09.2024 को उक्त एफआईआर में 210 सीआरपीसी में प्रगति रिपोर्ट मंगवाने हेतु निवेदन किया जिस पर पुलिस थाना मकराना से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई जिसमें उक्त एफआईआर नंबर में वर्णित मुल्जिमान के विरूद्ध चार्जशीट नंबर 256 दिनांक 31.12.2018 किता की जाकर आरोप पत्र पेश किया जाना शेष है। वादी अब्दुल करीम ने मृत व्यक्ति अब्दुल कयूम के नाम से प्रतिवादीगण के नाम से वाद प्रस्तुत किए जाने बाबत फौजदारी प्रकरण से पूर्णतया प्रमाणित है। मृत व्यक्ति के नाम पर वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पेश करने का सीधा कोई कारण उत्पन्न नही होता है। विधि का स्पष्ट मत है कि कोई वाद न तो मृतक वादी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और न ही मृतक प्रतिवादी के विरूद्ध चलाया जाएगा। हस्तगत वाद अब्दुल कयूम द्वारा पेश किया गया है जबकि अब्दुल कयूम दिनांक 16.01.1975 को फौत हो चुका है जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो रखा है। वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई सीधा वाद हैतुक उत्पन्न नही होता है और वादी ने बदनियतीपूर्वक मृत व्यक्ति के नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार कर मूल्यवान सम्पति को हडपने के लिए वाद प्रस्तुत किया है साथ ही वादी ने दावाकृत सम्पति का मूल्याकंन कम	

जिला न्यायाधीश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	अंकित करते हुए अपर्याप्त स्टाम्प पर वाद पत्र पेश किया है अतः वादी का वाद इस स्तर पर नामंजूर करते हुए खारिज किए जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में वादी अधिवक्ता ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि खसरा नंबर 388 के बेचान में वादी अब्दुल कयूम का 1/3 हिस्सा खरीदशुदा है। वादी का दिनांक 16.01.1975 या कभी भी नही देहांत नही हुआ है। प्रतिवादी ने वाद के शीर्षक में फर्जी नाम का गलत अंकन किया है। प्रतिवादी ने पुलिस से मिलकर गलत रूप से वादी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाई है। प्रतिवादी के द्वारा स्वयं निष्पादित पंजीकृत दस्तावेज बेचान दिनांक 17.03.2008 में वादी को अब्दुल कयूम बताया है और उस पर वादी की फोटो लगी हुई है। वादी ने अपने व परिवार के दस्तावेज पेश किए है उन सभी में वादी का नाम अब्दूल कयूम अंकित है। प्रतिवादी के आवेदन पत्र में अंकित तथ्य बाद साक्ष्य ही तय किए जा सकते है। प्रतिवादी संख्या 01 जो वादी का सगा भाई है, ने अपने जवाब में वादी को अब्दुल कयूम बताया है। प्रतिवादी ने गलत तथ्यो पर प्रार्थना पत्र पेश किया है अतः प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र मय हर्जे खारिज फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। जहां तक प्रतिवादी अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया है कि अब्दुल कयूम की मृत्यु दिनांक 16.01.1975 को नाबालिग अवस्था में हो गई थी और अब्दुल करीम ने स्वयं को अब्दुल कयूम बताते हुए कूटरचित दस्तावेज तैयार कर मूल्यवान सम्पति को	

अपर जिला न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	हडपने के आशय से वाद पेश किया है अतः वादी का वाद पत्र खारिज फरमाया जावें इस संबंध में वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अब्दुल कयूम की दिनांक 16.01.1975 या कभी भी मृत्यु नही हुई है और प्रतिवादी के द्वारा स्वयं बेचान दिनांक 17.03.2008 में वादी का नाम अब्दुल कयूम बताया है। वादी का खसरा नंबर 388 के बेचान में 1/3 हिस्सा खरीदशुदा है इस प्रकार प्रतिवादी ने वाद कारण पर जो आपत्ति की है वह इस स्टेज पर तय नही की जा सकती अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। इस संबंध में न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत से मार्गदर्शन प्राप्त किया। In **Saleem Bhai and Others Versus State of Maharashtra and others reported in 2003 (1) SCC 557,** the Hon'ble ApexCourt has held with reference to Order VII Rule 11 of the Code that the relevant facts which need to be looked into for deciding an application there under are the averments in the plaint. The trial court can exercise the power at any stage of the suit before registering the plaint orafter issuing summons to the defendant at any time before the conclusion of the trial. For the purposes of deciding an application under clauses (a) and (d) of Order VII Rule 11 of the Code, the averments in the plaint are germane; the pleas taken by the defendant in the written statement would be wholly irrelevantat that stage. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत में यह सिद्धांत प्रतिपाद्धित किया कि आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुए न्यायालय को वाद पत्र के एवरमेंट पर विचार करना होता है। प्रतिवादी के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य इस स्टेज पर असंगत होते। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया।	

अपर जिला न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	वादी ने वाद पत्र में किस कारण से दावा पेश किया है, का उल्लेख किया है। वादी के दादा व वादी के काका व वादी के नाम से खसरा नंबर 388 में से 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि 21.02.74 को खरीदना, वादी के दादा की मृत्यु के बाद 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि से 1/3 हिस्सा जलालुदीन का होना जिसमें से 1/6 हिस्सा निजामुदीन को मिला इस प्रकार खरीदशुदा भूमि में 1/2 हिस्सा निजामुदीन का होना व शेष 1/2 हिस्से में से 1/6 हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 1/3 हिस्सा अकेले वादी का खरीदशुदा होना बताया है इस संबंध में प्रतिवादी ने वादी व प्रतिवादीगण के दादा जलालुदीन द्वारा वर्ष 1974 में खसरा नंबर 388 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि क्रय करने, जिसकी रजिस्ट्री अपने व अपने पुत्र निजामुदीन व पौत्र अब्दुल कयूम के नाम कराने तथा प्रार्थी के भाई अब्दुल कयूम की नाबालिग अवस्था में हो जाने से अब्दुल करीम द्वारा अपने आप को अब्दुल कयूम बताकर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर मूल्यवान सम्पति को हड़पना बताया है, साथ ही प्रतिवादी द्वारा इस संबंध में वादी के विरूद्ध एफआईआर नंबर 197/18 दर्ज करवाया बताया है जिसमें वादी के विरूद्ध धारा 420,467,468,471,120बी भादस में अपराध प्रमाणित पाए जाने से चार्जशीट किता किया जाना वर्णित किया है एवं वादी द्वारा पेश वाद पत्र के साथ कोर्ट फीस का मूल्याकंन कम आंकते हुए पेश किया जाना प्रतिवादी ने कथन किया है इस प्रकार वादी द्वारा वाद पत्र पेश करने का क्या वाद कारण उत्पन्न हुआ तथा प्रतिवादी द्वारा वादी के विरूद्ध दर्ज एफआईआर के	

अपर जिला न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम जं इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	संबंध में सिविल व फौजदारी कार्यवाही दोनो अलग प्रकिया है और फौजदारी कार्यवाही के अपराध से सिविल कार्यवाही में क्या प्रभाव पडेगा एवं वाद पत्र में वादी द्वारा कोर्ट फीस का मूल्याकंन कम आकने के संबंध में वर्णित तथ्य विवादास्पद होने से उक्त तथ्य यह इस स्टेज पर तय नही किया जा सकते चूंकि उक्त तथ्य साक्ष्य व विधि का मिश्रित प्रश्न होने से उभय पक्षो की साक्ष्य के बाद ही तय किया जा सकेगा। वादी के वाद पत्र के अनुसार प्रथम दृष्टया खसरा नंबर 388 में 1 बीघा 3 बिस्वा में भूमि में अपना हिस्सा होने के संबंध में वादी के द्वारा दावा न्यायालय के समक्ष पेश किया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादी ने जो उज्र उठाए है इस आधार पर प्रतिवादी का आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत नही होने से अस्वीकार खारिज किया जाता है। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र के निस्तारण के संबंध में हस्तगत प्रकरण में एक अवसर चाहा जिस पर सुना जाकर न्यायहित में एक अंतिम अवसर दिया गया। पत्रावली वास्ते पेश होने असल स्टाम्प दिनांक 18/9/2024 को पेश हो। अपर जिला न्यायाधीश मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन	